

राजरक एवं भूमि सुधार विभाग  
(गृ-अर्जन निदेशालय)  
अधिकारी

पटना, दारीश्व : .....

स०

चावर न०-०१, थाना -०१- १३०, पटना - गोपालपुर, थाना- बाढ़, जिला पटना में सांवेदनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाढ़ से बहितयारभूत किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनाली पूर्वका भाग - सबनीमा चावर न०-०१, थाना -०१- १३० के भीतर भूमि का एक टुकड़ा १२०९, १२२५, १२२७, १२३४, १२३६, १२३९, १२४०, १२४१, १२४३, १२४४, १२४५, १२४६, १२४८, १२५४, १२५७, १२५८, १२५९, १२६०, १२६१ १२६३, १२६४, १२७२, १२७४, १२७५, १२७६, १२७८, १२७९, १२८०, १२९०, १२९१, १२९२, १२९३, १३१२, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२१ अंश भाग के खेतरमें र० ११९८, ११९९, १२३६, १२६२, १२७३, १४४९, १४७६ एवं १२०९/४४६९ रामी पूर्ण भाग है जिसकी बौद्धिमी निम्न प्रकार है :


उत्तर : खेतरमें १०- १५६९, १५६८, १४७७, १४७८, १४७३, १३२८, १३२०, १३२१, ४१९, १३१७, ४२१, १२९२, १२७८, १२७६, ४२५, १२७५, १२७४, १२६१, १२६०, १२५९, १२५८, १२५७, १२५६, १२४८, १२४६, १२४५, १२४४, १२३९, १२३५, १२३४, १२२७, १२२५, १२२०, ११९१, ४४७० एवं ४४७१ रामी अंश भाग एवं खेतरमें र० १४४८, १२३७ रामी पूर्ण भाग ;

पूरब : गौजा-सबनीमा थाना न०-१३० मेलानी चावर न०-२

दक्षिण : खेतरमें १५७६, १५७१, १५७२, १५७३, १४७५, १४७४, १४७३, १४५०, १३१२, १३१९, १३१८, १३१७, १२९३, १२९१, १२९०, १२७९, १२७६, १२८०, १२७२, १२६३, १२६४, १२५७, १२५४, १२४८, १२४६, १२४५, १२४४, १२४१ एवं १२४३ सभी अंश भाग।

पश्चिम : मौता-गोहमादपुर, थाना -०८- १३५ का सिमाना।

भूमि एवं भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लाहा, एत्यर, स्लोट या अन्य स्वनिःस्त्री की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जानें ३५० एकड़ियों के लेवल है भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए स्पोटर्स, हाटाना आ उपयोग से जाना आवश्यक हो, ले लिए जाएंगे। यह गोपण अधिनियम १८१८८५ की धारा ६ और उन रामी लाइसेन्सों के लिए जारी की जाती है, जिनके द्वारा रामी संबंधी है। भूमि का प्राप्तिवाली जिला गृ-अर्जन सदाविकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकता है।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

कृति

राजकार के द्वारा राज्य

- 1730/२७८

ज्ञापाक संख्या-15 / टी० पट० १० पटना (रेल)-19/13-/- दिनांक- ०३-०७ १३

प्रतिलिपि ।

गिरेशक, राज्यना एवं जनरामार्क विद्यालय, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो ऐसिक रामानार पत्रों, जिसमें एक रथानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला गृ-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि २.

प्रगारी उप रामाहरता, जिला गजट, रामाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला गृ-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि ३.

प्रतिलिपि ४.

प्रगारी उप रामाहरता, जिला गजट, रामाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला गृ-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि ५.

आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि रुधार विद्यालय, बिहार, पटना के वेबराइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

७८||३  
(नरोत्तम प्रसाद रिह)  
राजकार के अवर सन्ति।

८८